न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—217/2013/225 (2013/00070)

1. नागेश नारायण पुत्र शम्भूसिंह,
2. सतीशचन्द्र पुत्र शम्भूसिंह,
   दोनों जाति कायस्थ, नि0 ग्राम जूनिया, तह0 केकड़ी, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. राजेश नारायण पुत्र शम्भूसिंह, जाति कायस्थ, नि0 ग्राम जूनिया, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर ।
2. यशवन्त पत्नी नाहरसिंह,
3. तनवी नाबालिग पुत्री नाहरसिंह,
4. जानवी नाबालिग पुत्री नाहरसिंह,
   दोनों जरिये प्राकृतिक वली माता यशवन्त बेवा नाहरसिंह,
5. विमल प्रकाश पुत्र शम्भूसिंह,
   समस्त जाति कायस्थ निवासी ग्राम जूनिया, तह0 केकड़ी, जिला अजमेर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, केकड़ी, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी, दिनांक 14.6.2013 अंतर्गत प्रकरण संख्या 120/2009.

उपस्थितः—

1. श्री राकेश अरोड़ा, वकील अपीलांटस।
2. श्री निर्मल कुमार जैन, वकील रेस्पो0 संख्या 1.
3. श्री मनोहरलाल, वकील रेस्पो0 संख्या 2 से 5.
4. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 6.

निर्णय

दिनांकः— 20.5.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के निर्णय दिनांक 14.6. 2013 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1/प्रार्थी ने अधी0न्याया0 में वाद के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम जूनिया, तहसील केकड़ी की आराजी साबिक खसरा नंबर 2099 रकबा 3—8—10 बीघा व 2100 रकबा 3—16—10 बीघा भूमि जिसके हाल खसरा नंबर 2286 रकबा 0.57 है0 व खसरा नंबर 2287 रकबा 0.60 है0 बने है।

उक्त आराजियात जरिये रजिस्टर्ड दानपत्र के प्रार्थी के नाना नन्दलाल पुत्र जगन्नाथ, जाति कायस्थ निवासी जूनिया से प्राप्त हुई थी । उस समय प्रार्थी नाबालिग होने से दानपत्र प्रार्थी की सरंक्षक माता श्रीमती चन्द्रकांता पत्नि शम्भूसिंह ने स्वीकार किया था । वादग्रस्त आराजी दान से प्राप्त करने के समय से ही प्रार्थी कमी माता के कब्जे काश्त में रही है व निरन्तर कब्जे काश्त में चली आ रही है । प्रार्थी नाबालिग होने के कारण राजस्व रिकार्ड में वादग्रस्त आराजी प्रार्थी की माता श्रीतमी चन्द्रकांता पत्नि शम्भूसिंह के नाम इंद्राज होती चली आ रही थी क्योंकि प्रार्थी नाबालिग होने के कारण प्रार्थी के नाम इंद्राज नहीं किया गया । प्रार्थी की माता का दिनांक 16.9.2008 को स्वर्गवास हो गया, प्रार्थी की आराजियात के अलावाप प्रार्थी के पिता की खातेदारी की आराजियात और थी जिसमें भी प्रार्थी की माता श्रीमती चन्द्रकांता का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होता चला आ रहा था । प्रार्थी की माता चन्द्रकांता का स्वर्गवास हो जाने के बाद वादग्रस्त आराजियात को प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के नाम दर्ज कर दिया गया जबकि वादग्रस्त आराजियात प्रार्थी को नाना से जरिये रजिस्टर्ड दानपत्र के प्राप्त हुई थी जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 से 4 का कोई हक व हिस्सा नहीं है । अतः वादग्रस्त आराजियात का प्रार्थी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबदं किया जावे कि खसरा नंबर 2286 व 2287 में प्रार्थीगण के उपयोग में किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचाये तथा किसी प्रकार से रहन, बेचान आदि नहीं करे। विद्वान अधी0न्याया0 ने निर्णय दिनांक 14.6.2013 द्वारा प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 उपस्थित । अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि विवादित आराजियात में अपीलांटस एवं अन्य रेस्पोडेंटस का बराबर का हिस्सा निहित है । वादग्रस्त आराजियात अपीलांटस व रेस्पो0 के नाना नन्दलाल पुत्र जगन्नाथ की खातेदारी की आराजियात रही है एवं इसके पश्चात् उनकी मृत्यु उपरांत अपीलांटस व अन्य रेस्पो0 की माता श्रीमती चन्द्रकांता के नाम उक्त आराजियात दर्ज रही है तत्पश्चात् नामांतकरण संख्या 1037 से माता चन्द्रकांता के फौत होने पर दिनांक 5.6.2009 को उक्त आराजियात अपीलांटस व रेस्पो0 की खातेदारी में दर्ज हुई है । वादग्रस्त आराजियात खसरा नंबर 2286 व 2287 के अतिरिक्त अन्य 11 खसरा नंबरान जो कि अपीलांटस की माता चन्द्रकांता के नाम दर्ज रहे है को भी चन्द्रकांता द्वारा स्वंय के जीवनकाल में अन्य खातेदारान को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र बेचान की गई है । उक्त बाबत् किसी प्रकार का उज्र अपीलांटस व रेस्पो0 की माता के जीवनकाल में वादी/रेस्पो0 द्वारा नहीं लिया गया है एवं खातेदार नंदलाल की मृत्यु के बाद विरासतन नामांतकरण विधिवत् रूप से अपीलांटस की माता के नाम तस्दीक किया गया तत्पश्चात् अपीलांटस उक्त आराजियात पर बहैसियत खातेदार काबिज काश्त चले आ रहे है । रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा बिना अन्य सहखातेदारान को प्रकरण में पक्षकार बनाये अपीलांट के हक व अधिकारों के विपरीत आक्षेपित निर्णय पारित कराया गया है । अधी0न्याया0 द्वारा विधि के प्रावधानों के विपरीत अपीलांटस को पाबंद करने में त्रुटि कारित की है। बहस में आगे कथन किया कि रेस्पो0 ने सहखातेदारान को पक्षकार नहीं बनाया जिससे भी

प्रार्थना पत्र संधारण योग्य नहीं था । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त किया जावे ।

5. जवाब में विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने कथन किया कि अपीलाधीन भूमि स्वीकृत रूप से पक्षकारान के नाना नंदलाल पुत्र जगन्नाथ की खातेदारी की भूमि थी तथा नंदलाल पुत्र जगन्नाथ द्वारा रजिस्टर्ड दानपत्र दिनांक 23.3.1961 को निष्पादित कर रेस्पो0 संख्या 1 राजेश नारायण के पक्ष में राजेश नारायण नाबालिग होने के कारण दानपत्र राजेश नारायण वली जरिये प्राकृतिक माता श्रीमती चंद्रकांता के नाम से निष्पादित कर दिया गया था । इस प्रकार अपीलाधीन भूमि खसरा नंबर 2099 रकबा 3–8–10 एवं खसरा नंबर 2100 रकबा 3–16–10 के हाल खसरा नंबर 2286 व 2287 ग्राम जूनिया तहसील किशनगढ़ के कानूनन खातेदार राजेशनारायण रेस्पो0 संख्या 1 था परन्तु रेस्पो0 संख्या 1 के नाना नंदलाल के स्वर्गवास के बाद शेष बची भूमियां उनके एकमात्र वारिस श्रीमती चंद्रकांता के नाम विरासत नामांतकरण संख्या 1037 दिनांक 5.6. 2009 द्वारा दर्ज होनी चाहिये थी परन्तु सहवन से रेस्पो0 संख्या 1 के पक्ष में जरिये दानपत्र प्राप्त हुई भूमि भी विरासत नामांतकरण में सम्मिलित कर दी गई जिस कारण रेस्पो0 संख्या 1 को अधी0न्याया0 के समक्ष वाद एवं प्रार्थना पत्र धारा 212 प्रस्तुत किया गया । अधी0न्याया0 द्वारा संपूर्ण रिकार्ड एवं दस्तावेज की जांच कर विधिसंगत आदेश पारित किया है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । बहस में आगे यह भी कथन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा अपीलांटस को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 14.6.2013 को पाबंद किया गया था कि अपीलाधीन भूमि को किसी भी प्रकार से बेचान व हस्तांरित नहीं करे इसके बावजूद भी अपीलांटस द्वारा दिनांक 7.6.2013 को श्रीमती अनिता जैन पत्नि धनराज जैन एवं आशा बोरादिया पत्नि महेन्द्र कुमार बारोदिया के पक्ष में पंजीबद्ध विक्रय पत्र अवैध रूप से निष्पादित करा दिया । इस प्रकार अपीलांटस को अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार ही नहीं है क्योंकि अपीलांटस द्वारा अपील दिनांक 10.7.2013 को प्रस्तुत की गई है जबकि इससे पूर्व ही दिनांक 7.6.2013 को अपीलाधीन भूमि उपरोक्त व्यक्तियों को अवैध रूप से विक्रय कर दी गई इस कारण अपील संधारण योग्य नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है ।

6. जवाब उल जवाब में विद्वान वकील अपीलांट ने न्यायिक दृष्टांत 2017 आर0बी0जे0 पेज 599 पेश कर निवेदन किया कि आदेश 22 नियम 10 व 11 जा0दी0 के तहत न्यायालय क्रेतागण को पक्षकार बना सकता है । इसके जवाब में विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने कथन किया कि उक्त न्यायिक दृष्टांत वर्तमान प्रकरण पर चस्पा नहीं होते है क्योंकि आदेश 22 नियम 10 व 11 जा0दी0 के प्रावधान यदि दौराने वाद अथवा प्रकरण के विचाराधीन रहते पक्षकारान द्वारा अपने हक अधिकार हस्तातंरित किये जाते है या किसी पक्षकार को प्राप्त होते है तो प्रकरण में उस व्यक्ति को उक्त प्रावधान के तहत पक्षकार बनाया जा सकता है परन्तु इस प्रकरण में अपीलांटस द्वारा यह अपील प्रस्तुत करने से पूर्व ही पंजीबद्ध विक्रय पत्र से हस्तातंरित कर दी गई थी इस कारण उक्त न्यायिक दृष्टांत के तथ्य भिन्न है ।

7. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 2 से 5 ने वकील रेस्पो0 संख्या 1 की बहस का समर्थन करते हुए अपील खारिज करने का निवेदन किया ।

8. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रथमदृष्टया यह प्रमाणित है कि अपीलाधीन भूमि नंदलाल पुत्र जगन्नाथ की खातेदारी की भूमियां थी तथा नंदलाल द्वारा अपने जीवनकाल में अपीलाधीन भूमि जरिये पंजीबद्ध दानपत्र दिनांक 23.3.1961 को रेस्पो0 संख्या 1 के पक्ष में निष्पादित कर दी गई थी । राज0काश्त0अधि0 की

धारा 63 के अनुसार अपीलाधीन भूमि में नंदलाल को हक अधिकार रेस्पो0 संख्या 1 को प्राप्त हो गये थे तथा शेष रही भूमि नंदलाल के स्वर्गवास के बाद उनकी एकमात्र वारिस पुत्री श्रीमती चंद्रकांता को विरासत में प्राप्त हुई परन्तु राजस्व अधिकारियों की गलती से विरासत नामांतकरण संख्या 1037 दिनांक 5.6.2009 में दान की गई भूमियां भी सम्मिलित कर ली गई । उक्त दानपत्र को सक्षम न्यायालय से निरस्त कराये जाने का कोई साक्ष्य भी पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है । अपीलाधीन भूमि रेस्पो0 संख्या 1 को जरिये दानपत्र प्राप्त होना प्रथमदृष्टया प्रमाणित होता है एवं अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसंगत प्रतीत होता है परन्तु अधी0न्याया0 द्वारा अपीलांटस/अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद करने के बावजूद अपीलांटस द्वारा गलत रूप से जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र के दिनांक 7.6.2013 को श्रीमती अनिता जैन पत्नि धनराज जैन एवं आशा बोरादिया पत्नि महेन्द्र कुमार बारोदिया को विक्रय कर दी है तत्पश्चात् दिनांक 10.7.2013 को यह अपील प्रस्तुत की है जबकि अपीलांटस द्वारा पूर्व में ही भूमि विक्रय कर दी गई थी । अपीलांटस किसी भी रूप में व्यथित पक्षकार विक्रय के उपरांत नहीं रहते है इस कारण भी यह अपील खारिज किये जाने योग्य पायी जाती है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है । ।

9. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.6.2013 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 20.5.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर